न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –87/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार
   1/1. विक्की कटारा पुत्र राजेन्द्र कुमार
2. रमाकान्त
3. रामदुलारी पत्नी मौहरसिंह कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास भरतपुर।

पिसरान मौहरसिंह कौम ब्राह्मण निवासी रूपवास तहसील रूपवास

...अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आराजी खसरा नम्बर 1980/1092 रकबा 0.11 बीघा के विरुद्ध आवंटन को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत।

उपस्थितः–

1–पैरोकार सरकार,

2–श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांकः– 20.05.2026

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रुपवास ने यह रेफरेन्स एल.आर.एक्ट की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1980/1092 रकबा 0.11 बीघा वाके किस्म गै0मु0खार ग्राम रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त भूमि जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि राजकीय खाते की खाता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

संख्या 01 पर सिवायचक गैर मु0 खार (मकबूजा मालकान)के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसका इन्द्राज खसरा टीप सम्वत् 2005–2008 में खसरा नम्बर 1092/12.03 के रूप में रहा है जो मौके पर गैल अर्थात् रास्ता के रूप में खाली रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज मोहरसिंह पुत्र प्यारेलाल हुक्मन विनियमन आदेश दिनांक 30.12.1970 द्वारा नामान्तकरण संख्या 719 निर्णय दिनांक 21.06.1971 से खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ जो जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 1587 से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ व अप्रार्थीगण ही आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है, जिसका नियमन नही किया जा सकता है और उस खातेदारी अधिकार देना विधिविरूद्व है। उक्त भूमि पर खातेदारी प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि पर मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स प्रकरण तैयार किये गये है। उक्त भूमि पर हुक्मन विनियमन आदेश दिनांक 30.12.1970 दर्ज खातेदारी प्रभाव शून्य है एवं इसके प्रभाव में किये गये समस्त नामा0स0 719 व 1587 आदि को निरस्त करने योग्य है। भूमि आवंटन आदेश नॉन ज्यूडिशियल का प्रकरण है जिसका रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाना है।

इस प्रकार तहसीलदार (भूमिधारी) ने अन्त में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1980/1092 रकवा 0.11 बीघा किस्म गै0मु0खार पर प्रदान की गई खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए समस्त नामा0स0 719 व 1587 आदि को निरस्त फरमाये जाने तथा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स स्वीकार किया जावें।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभय पक्ष अभिभाषगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज है, ऐसी भूमियां धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रतिबिन्धत श्रेणी में आती हैं। जिस पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। उक्त भूमि पर मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया गया है। उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्देशो के तहत जारी आदेश की पालना में रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को उक्त आराजी पर दर्ज खातेदारी तथा इसके प्रभाव में किए गए नामान्तकरण संख्या 719 व 1587 आदि को निरस्त किया जावे तथा पैरोकार सरकार द्वारा भूमि को पूर्व की भांति खाता संख्या 01 में दर्ज कराये जाने हेतु रेफरेन्स प्रेषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1980/1092 रकबा 0.11 बीघा किस्म गै0मु0खार वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास में स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण को हुक्मन विनियमन आदेश दिनांक 30.12.1970 द्वारा नामान्तकरण संख्या 719 निर्णय दिनांक 21.06.1971 के आधार पर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस सबंध में विनियमन के आदेश को निरस्त किये बिना नामान्तकरण को निरस्त नही किया जा सकता है तथा नामान्तकरण संख्या 1587 जरिये विरासत के आधार पर दर्ज हुआ है। रैफरेन्स 49 साल बाद प्रस्तुत किया गया है जो म्याद बाहर है। दो नामान्तकरणो को निरस्त कराने के लिए एक रैफरेन्स नही किया जा सकता है। रैफरेन्स इसी आधार पर खारिज योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा रेफरेन्स को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी तहसीलदार ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1980/1092 रकबा 0.11 बीघा किस्म गै0मु0खार वाकेग्राम रूपवास तहसील रुपवास पर दर्ज खातेदारी तथा उसके प्रभाव में किये गये नामान्तकरण संख्या 719 व 1587 को निरस्त करने तथा मान0 उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डीबी सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश दिनांक 02.08.2004 व माननीय लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर के लोकायुक्त प्रकरण के कमांक 11(151)लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में रैफरेन्स तैयार किया जाकर विवादित आराजी पर हो रहे अप्रार्थीगण के खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कर वापिस पूर्व की भांति हो रहे इन्द्राज को बहाल करने की प्रार्थना की गई है। तहसीलदार रूपवास की मौका रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 1980/1092 रकबा 0.11 बीघा रमकान्त पुत्र मौहरसिंह, रामदुलारी बेवा मौहरसिंह, लक्ष्मी पत्नि राजेन्द्र,निधि, निशा,नर्वदा पुत्रीयान राजेन्द्र, विक्की पुत्र राजेन्द्र कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मूल आराजी ख0न01092 रकबा 12.03 बीघा है जो राजस्व रिकार्ड अनुसार पांच भागों में विभक्त है तथा नक्शा की एक ही आकृति बनी हुई है अर्थात् जमाबंदी अनुसार विभक्त पांच भागों की नक्शा में कोई तरमीम नही है। मुताबिक मौका रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 1092 रकबा 12.03 बीघा पर सघन आबादी बसी हुई व बाजार आदि के मध्य स्थित है तथा मौके पर काफी पुरानी सघन आबादी,दुकान आदि बनी हुई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार खसरा टीप सम्वत् 2005–2008 में खसरा नम्बर 1092/12.03 के रूप में रहा है जो मौके पर गैल अर्थात् रास्ता के रूप में खाली रहा है तथा जमाबंदी संवत् 2012 में आ0ख0न0 1092 रकबा 11.03 बीघा राजकीय खाते मे मकबूजा सरकार किस्म गैर मुमकिन दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी संवत् 2040–42 के खाता नम्बर 335 के खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.11 बीघा पर मौहरसिंह बल्द प्यारेलाल कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि की किस्म गैर मु0खार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2049–2052 में खसरा नम्बर 1092 रकबा 0.11 बीघा किस्म गैर मुमकिन खार दर्ज रिकार्ड है, तथा नामान्तकरण संख्या 719 से हुक्मन आदेश तहसील से मोहरसिंह बल्द प्यारेलाल कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है तथा नामा0स0 1587 से जरिये विरासत मौहरसिंह के स्थान पर राजेन्द्र कुमार,रमाकांत पि0 मौहरसिंह व रामदुलारी बेवा मौहरसिंह वहि0बराबर कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार दर्ज हुआ है।

इस प्रकार उक्त भूमि सम्वत् 2012 की जमाबंदी के कॉलम न06 में मकबूजा मजबूर दर्ज होकर आराजी खसरा नम्बर 1092 रकबा 12.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन दर्ज रिकार्ड है। जो तत्समय प्रचलित आवंटन आदेशानुसार नामान्तकरण संख्या 719 से गैर खातेदार प्रदान की गई है तथा भूमि की किस्म गैर मुमकिन दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में आवंटन के नामान्तकरण से अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। उक्त खातेदारी किस प्रावधानों के तहत प्राप्त हुई है, इस सबंध में उभयपक्ष के द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रार्थी तहसीलदार का यह कहना है कि भूमि पर खातेदारी बिना आवंटन के किया गया है और राजकीय खाते में दर्ज रही है। अप्रार्थीगण कों विरासत की कार्यवाही हुई है उससे खातेदारी प्रदत्त की गई है। जमाबंदी सम्वत् 2012 में किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। **माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2023(1) आर.आर.टी. 101 में प्रतिपादित आदेश स्टेट बनाम लक्ष्मन वगै0 दिनांक 20.10.2022 द्वारा "राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 82 द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित की–आवंटन व नामान्तकरण को रद्द करने हेतु रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे रैफरेन्स अपूर्ण है"।** प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत बखूबी चस्पा होते है। प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके की उक्त आराजी धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती हो।

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजात को भी पेश नही किया है जिसमे रैफरेन्स के सबंध में पूर्ण जांच की जानी संभव नही है:–

1. रैफरेन्स के समर्थन में वर्ष 1947 का राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स हाल खसरा नम्बर 1980/1092 रकबा 0.11 बीघा के सबंध में पेश किया गया है एवं इसके साविक खसरा नम्बर 1092 का उल्लेख किया है लेकिन इसकी ताईद के लिए मिलान क्षेत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

3. प्रार्थना पत्र रैफरेन्स में विनियमन के आदेश से मौहरसिंह पुत्र प्यारेलाल कौम ब्रह्मण सा0 देह गैर खातेदार दर्ज होकर जरिये नामा0स0 719 से अप्रार्थीगण के हक में भरा जाना कथित कर उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 1092 में खातेदारी देना बताया है, का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है।

अतः तहसीलदार रूपवास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रैफरेन्स उपर्युक्त विवेचन के कम में बाद जांच माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाना सम्भव नही है। अतः इस प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रूपवास उपर्युक्तानुसार समस्त दस्तावेज के साथ प्रार्थना पत्र रैफरेन्स पुनः पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)